दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 21 दिसम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 83

महत्वपूर्ण एवं खास

सरकार ने तुर्की से अतिरिक्त 12,500 मीट्रिक टन प्याज आयात करने का समझौता किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) के आदेश के अनुसार एमएमटीसी ने तुर्की से अतिरिक्त 12,500 मीट्रिक टन प्याज आयात करने का समझौता किया है। इस समझौते के तहत प्याज मद्य जनवरी से भारत में पहुंचने लगेंगे। इस समझौते के साथ प्याज आयात की कुल मात्रा 42,500 मीट्रिक टन हो गई है। लगभग 12,000 मीट्रिक टन प्याज 31 दिसंबर, 2019 से पहले भारत पहुंच जाएंगे। इसके बाद राज्यों द्वारा की गई मांग के आधार पर विभिन्न राज्यों को प्याज की आपूर्ति की जाएगी। इससे प्याज की कीमत कम होगी और उपलब्धता बेहतर होगी।

हाईकोर्ट में शेम बोलने वाले वकीलों की जांच होगी

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को जामिया के छात्रों को अंतरिम सुरक्षा देने से इंकार किए जाने पर मुख्य न्यायाधीश डी. एन पटेल के खिलाफ शेम बोले जाने की अभूतपूर्व घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डी. एन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि मामले को एक समिति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वकीलों के एक समूह द्वारा इस मामले को मुख्य न्यायाधीश पटेल के सामने उठाए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। वकीलों ने घटना माफी मांगी और स्वतः संज्ञान में लेकर अवमानना की एक कार्रवाई शुरू करने की मांग की। वहीं एक वकील ने सुझाव दिया कि सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शन कर रहे शर्मिष्ठा सहित कई महिला कांग्रेसी हिरासत में लिए गए

नईदिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे करीब एक दर्जन कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए नेताओं में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी शामिल हैं। आपको बताते जाए कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल आक्रमक रूख अपनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को लेफ्ट और समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था। लेकिन बाद में प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर लिया गया था। लखनऊ में एक पुलिस चौकी और कई दर्जन गाडियों को आग लगा दी गई थी। संभल में भी चार बसों में आग लगा दी गई थी।

संसद में लैपटॉप-मोबाइल हो सकता है इस्तेमाल

» लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बना रहे हैं योजना

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के निचले सदन में सांसदों को अपने लैपटॉप, मोबाइल और आईपॉड के उपयोग की अनुमति मिल सकती है। स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि इसके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। 1952 में पहला आम चुनाव होने के बाद भारतीय संसद ने पिछले 65 वर्षों में एक लंबा रास्ता तय किया। माइक्रोफोन हट गये हैं। पेपर बैलट की जगह मल्टी-कलर्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बटन ने ले ली है। लाइव टेलीकास्ट सदन की कार्रवाई पर नजर रखता है। भारत में मोबाइल फोन की क्रांति ने मजबूत पकड़ बना ली है। लेकिन संसद के दोनों सदनों में इसके उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है। सांसद अभी भी भाषण देने और कानून के बेहतर बिंदुओं पर बहस करने के लिए फिजिकल नोट्स पर निर्भर हैं, न कि एप्पल नोटबुक पर। संसद में लैपटॉप और टैबलेट का जिक्र करते हुए बिड़ला ने कहा, ष्सदस्यों के लाभ के लिए, सदन में लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

कुलदीप सिंह को उम्रकैद की सजा और 25 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली (आरएनएस)। उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी विधायक को अब बाकी बची उम्र जेल में ही काटनी होगी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने इस मामले में सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो उन्हें एक महीने के अंदर जमा करना होगा। साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए जो उनकी मां को मिलेगा। अदालत ने सीबीआई को पीड़ित और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

अदालत ने कहा है कि सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा और उनकी सुरक्षा का हर तीन महीने में आकलन करते रहना होगा। अदालत

ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता और उसके परिवार के किराए के आवास के लिए एक साल तक प्रति माह 15,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि पीड़िता और उसका परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के आवास में एक साल तक रहेगा।

सेंगर ने लोगों के साथ विश्वासघात किया

सजा का ऐलान करते हुए कोर्ट ने कहा, श्सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया। हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया।

सीबीआई ने भी की थी कड़ी सजा की मांग

इससे पहले 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को भी फटकार लगाई थी। महिला आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया था। उधर, सेंगर के लिए सीबीआई ने भी कोर्ट से उम्रकैद की सजा की मांग की थी। सीबीआई ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा से कहा था कि वह सेंगर को अधिकतम उम्रकैद की सजा दें क्योंकि यह एक व्यक्ति की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजा देने का भी अनुरोध किया। उन्नाव केस में एक मामले पर कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन 4 अन्य मामलों में फैसला आना अभी बाकी है। कोर्ट ने विधायक सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक के पास लेकर गई थीं। सेंगर को आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 5(ब) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया।

सेंगर एक शक्तिशाली व्यक्ति

दोषी करार देते हुए अदालत ने कहा था, कि सेंगर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, पीड़िता महानगरीय शिक्षित क्षेत्र की नहीं बल्कि गांव की लड़की थी, जिसकी वजह से मामला दर्ज कराने में देर हुई। उसके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद उसके परिवारवालों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए।श् अदालत ने सीबीआई द्वारा मामले में आरोप-पत्र दायर करने में विलंब पर हैरानी जताते हुए कहा कि इसकी वजह से सेंगर के खिलाफ सुनवाई लंबी चली।

2017 में नाबालिग का किया था रेप

सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

28 जुलाई को हुआ था पीड़िता का ऐक्सिडेंट

इस बीच पीड़ित युवती को कथित तौर पर मारने की भी कोशिश की गई। उनकी कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में युवती की 2 रिश्तेदार मारी गई और उनके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया था। सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया था कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए।

पर्यावरण कानूनों के दायरे में हैं भारतीय जल क्षेत्र में आने वाले जहाजः एनजीटी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के प्रभावी निगरानी का अभाव है। एनजीटी ने कहा कि जहाजों का भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करना पर्यावरण कानून के दायरे में आता है।

न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी भारतीय और विदेशी जहाजों का भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करना भारतीय व्यापारी नौवहन नियम के तहत विस्तृत नियमावली तय होने तक पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986, वायु (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) कानून 1981 के संबंधित प्रावधानों के दायरे में आता है। एनजीटी ने पोत परिवहन मंत्रालय और पोत परिवहन के महानिदेशक को विस्तृत व्यापारी नौवहन नियम के साथ आने को कहा है। यह नियम व्यापारिक

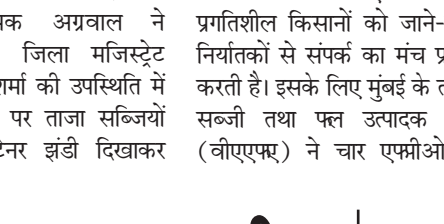

जहाजों के साथ ही मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए भी प्रभावी होगा, जिसमें जेनसेट का इस्तेमाल होता है । यह आदेश वकील शिवानी घोष की याचिका पर आया है, जिन्होंने भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों और नौकाओं के कारण होने वाले प्रदूषण पर निगरानी की मांग की और इस संबंध में एक रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल की। याचिका में भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों और डॉक यार्ड अथवा बंदरगाह पर रूके जहाजों के ईंधन जलने के कारण होने वाले प्रदूषण का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि जहाज से खतरनाक किस्म की गैसों का उत्सर्जन होता है।

भारत के औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश बना अफगानिस्तान

» भारतीय दवाओं और मानकों के लिए नई शुरूआत

नई दिल्ली (आरएनएस)। इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के औषधि नियामक तथा स्वास्थ्य उत्पादों के राष्ट्रीय विभाग ने भारतीय औषधि कोष (द इंडियन फार्माकोपिया-आईपी) को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। इसके साथ ही एक नई शुरूआत हुई है और अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष (फार्माकोपिया) को मान्यता देने वाला पहला देश बन

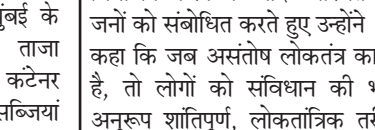

गया है।

ऐसा वाणिज्य विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से हुआ है। दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत नियम 1945 के मानकों के अनुसार भारतीय औषधि कोष मान्यता प्राप्त पुस्तक है। यह शब्दकोष दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से दवाओं को बनाने और विपणन के मानकों की जानकारी देता है। स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से औषधि की गुणवत्ता, क्षमता तथा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंडियन फार्माकोपिया (आईपी) के रूप में भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) द्वारा औषधियों के कानूनी और वैज्ञानिक मानक प्रदान किए गए हैं। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार इंडियन फार्माकोपिया आयात की जाने वाली दवाओंब्रिक्री के लिए बनाई गई दवाओं, स्टॉक या बिक्री के लिए प्रदर्शनी या वितरण के लिए अधिकारिक मानक पुस्तक है। आईपी आयोग का मिशन दवाओं की गुणवत्ता के लिए अधिकृत और आधिकारिक रूप से स्वीकार्य मानकों को तय करके भारत में सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है। इसमें सक्रिय दवा अवयव, तत्व तथा खुराक, स्वास्थ्य सेवा के लोगों, मरीजों तथा उपभोक्ता द्वारा किए गए इस्तेमाल शामिल हैं। इसके लिए औषधियों के लिए मानक विकसित किए गए हैं।

समुद्री मार्ग से पहली बार दुबई भेजी गई ताजा सब्जियां और फल

» एपीईडीए ने यूपी के पांच जिलों को बनाया कृषि निर्यात हब

नई दिल्ली (आरएनएस)। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज भारत के कृषि उत्पाद संपन्न क्षेत्रों से पहली बार प्रायोगिक तौर पर वाराणसी से दुबई समुद्री मार्ग से ताजा सब्जियां भेज रहा है। वाराणसी क्षेत्र में फल और सब्जियों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए एपीईडीए वाराणसी क्षेत्र के पांच जिलों गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर तथा संत रविदास नगर में

कृषि निर्यात हब बनाने जा रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एपीईडीए के अध्यक्ष पबन कुमार बोरठाकुर तथा वाराणसी क्षेत्र के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा की उपस्थिति में प्रायोगिक तौर पर ताजा सब्जियों का एक कंटेनर झंडी दिखाकर समुद्री मार्ग से रवाना किया। कृषि निर्यात हब बनाने के प्रयास में एपीईडीए ने इस वर्ष वाराणसी में ताजा सब्जियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के 100 किसान तथा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा उत्तर प्रदेश के निर्यातक शामिल हुए। क्रेता-विक्रेता बैठक एफमीओ तथा प्रगतिशील किसानों को जाने-माने निर्यातकों से संपर्क का मंच प्रदान करती है। इसके लिए मुंबई के ताजा सब्जी तथा फल उत्पादक संघ (वीएएफए) ने चार एफमीओ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए ताजा सब्जियां और फल उठाने के बारे में समझौता-ज्ञापन किया। बनारस में कृषि निर्यात हब बनाने की पहल के परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार वाराणसी क्षेत्र के एफमीओ से सब्जियों की खेप समुद्री मार्ग से दुबई भेजी जा रही है। एपीईडीए ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समुद्री मार्ग से दुबई ताजा सब्जियों का एक कंटेनर प्रायोगिक तौर पर भेजा है। वीएएफए के समर्थन से मुंबई के एक निर्यात घराना द्वारा ताजा सब्जियों का 14 एमटी का कंटेनर भेजा जा रहा है। ये सब्जियां गाजीपुर तथा वाराणसी के तीन एफमीओ से ली गई हैं।

नायडू ने राष्ट्रीय हितों को अपने कार्यों का केंद्र बिंदु बनाने लोगों को किया आह्वान

नईदिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हितों को अपने कार्यों का केंद्र बिंदु बनाने और हिंसा में लिप्त न होने के लिए लोगों का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राहुल अग्रवाल और भारती एस. प्रधान द्वारा लिखित पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ - द मोदी इयर्स का विमोचन करने के बाद उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब असंतोष लोकतंत्र का मूल गुण है, तो लोगों को संविधान की भावना के अनुरूप शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीकों और कार्यों का अनुसरण करना चाहिए।

यह देखते हुए कि एकता, सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता राष्ट्र के लिए सबसे ऊपर हैं तो लोगों को रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश की छवि को हानि पहुंचाए। उन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि जनप्रतिनिधियों को लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरते हुए संसद और विधानसभाओं के मंच का लोगों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे मोदी के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र से बहुत प्रभावित हैं। राष्ट्र का बदलाव समय की जरूरत है और अब ऐसा ही हो रहा है।

दो पिनाक मिसाइलों का सफल उड़ान परीक्षण

चांदीपुर (आरएनएस)। पिनाक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की उड़ान परीक्षणों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा दो परीक्षण फायरिंग की गई। पहला परीक्षण गुरुवार को किया गया, जिसमें 75 किलोमीटर की दूरी से एक प्रक्षेपास्त्र दागा गया। दूसरा परीक्षण आज 11 बजे दिन में ओडिशा के चांदीपुर तट के निकट स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया।

शुक्रवार के परीक्षण का मिशन उद्देश्य कम रेंज का परीक्षण करना, निकटता फ्यूज के साथ लाइव वॉरहेड कार्य प्रणाली का परीक्षण करना

और साल्वो लॉन्च करना था। दो फायरिंग के बीच 60 सेकंड के अंतराल पर पिनाक प्रक्षेपास्त्र साल्वो रूप में (सलामी रूप में) दागे गए। दोनों प्रक्षेपास्त्र 20 किलोमीटर रेंज लक्ष्य पर दागे गए। मिसाइल निकटता फ्यूज के साथ लाइव वॉरहेड से एकीकृत था। इसकी ट्रैकिंग विभिन्न रेंज प्रणालियों यानी टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली (ईओटीएस) से की गई।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए पूरे डीआरडीओ समुदाय को बधाई दी।

नागरिकता कानून को लेकर देश भर में नहीं थम रहा बवाल

» क्या सरकार ने नागरिकता कानून पर मांगे सुझाव?

नई दिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा इसे लागू नहीं करने के फैसले पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है।

नागरिकता (संशोधन) कानून को लेकर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा इसे अपने राज्यों में इसे लागू नहीं करने के

फैसले पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि इस कानून को लागू करना केंद्र के तहत आता है। इसे लेकर छिड़े बवाल पर कहा कि सभी से चर्चा के बाद इस बिल को पेश किया गया था। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी कहा है कि मंत्रालय ने प्रदर्शन करने वालों से इस बिल को लेकर अपने सुझाव भी मांगे हैं। सूत्रों ने बताया कि यह कानून कहां लागू होगा इसका फैसला सरकार करेगी, क्योंकि यह कानून केंद्र के तहत आता है। उन्होंने कहा कि

यह डिजिटल और आसान प्रक्रिया होगी ताकि किसी को भी इस संबंध में कोई दिक्कत न हो। नागरिकता कानून को लेकर छिड़े बवाल पर सूत्रों ने कहा कि यह बिल सभी से चर्चा के बाद पेश किया गया है। इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनके पास इस मामले में कोर्ट जाने का भी अधिकार है और विरोध करने का भी। जो लोग इस संबंध में सुझाव देना चाहते हैं, दे सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कानून के तहत आने वाले नियमों का खाका खींचा जा रहा है। गौरतलब है कि नागरिकता कानून को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध छिड़ा है। कई जगह विरोध ने हिंसक रूप भी अख्तियार कर लिया है। दिल्ली में जहां कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं, वहीं यूपी के कई जगहों से आगजनी की खबरें भी आई हैं।